सत्यमेव जयते

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS JODHPUR – 342001

Phone : 0291-2545066, 2545251 (O), 2701162 (R),Mobile : 94141-32427

e-mail: secretaey@barcouncilofrajasthan.org, **website** : www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No. BCR/ 5160 Dated: 29.09.2014

आदरणीय बन्धु,

जय हिन्द।

मेरे पूर्व पत्रांक 4934 दिनांक 31.07.2014 द्वारा आपको सूचित किया गया था कि राजस्थान के सभी बार एसोसिएशनों के माननीय अध्यक्षों/सचिवों की दो दिवसीय सभा का दिनांक 04–05 अक्टूबर, 2014 को आयोजन किया जाना था। उक्त सभा का आयोजन अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया है, जिसकी सूचना आपको भिजवा दी गई है।

जैसा कि आपको विदित है कि बार कौंसिल अपने अधिवक्ताओं के कल्याण एवम् हितों की सुरक्षार्थ सदैव प्रयासरत एवम् वचनबद्ध है। अक्टूबर, 2011 में राज्य भर के वकीलों के श्रीगंगानगर में हुये दो दिवसीय सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के मांग पत्र पर राज्य के समस्त वकीलों ने संघर्ष किया तथा अपनी एकता के बल पर राज्य सरकार को मांगे मानने को बाध्य कर दिया।

अब भी अधिकांश मांगो पर सहमति बन जाने के पश्चात् भी क्रियान्विती नहीं हो पायी है तथा राज्य के 70 हजार से अधिक वकीलों तक वास्तविक लाभ नहीं पहुंचा है। युवा वकीलों को मानदेय, पेन्शन, पुस्तकालय तथा आवास संबंधी समस्याओं पर कार्यवाही होना शेष है। आज के समय में अभिभाषकों का कल्याण (Welfare of Advocates) अतिमहत्वपूर्ण विषय है।

इसी प्रकार न्यायालय अवमानना अधिनियम (Contempt of Courts Act) पर भी भारी विवाद है तथा राज्य के समस्त वकील इस मामले में आन्दोलित है। न्यायालय के अधिकारी का दर्जा दिये जाने के बावजूद वकीलों पर इस कानून के अन्तर्गत मामले चलाये जाते है, अतः ‘‘न्यायिक अवमानना’’ के इस कानून की उपादेयता पर सार्थक बहस की आवश्यकता है।

इन सभी मुद्दों पर प्रभावी चर्चा हेतु दिनांक **08–09 नवम्बर, 2014** को राजस्थान के बार एसोसिएशनों के माननीय अध्यक्षों/सचिवों की दो दिवसीय सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

सत्यमेव जयते

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

HIGH COURT BUILDINGS JODHPUR – 342001
Phone : 0291-2545066, 2545251 (O), 2701162 (R),Mobile : 94141-32427
e-mail: secretaey@barcouncilofrajasthan.org, **website** : www.barcouncilofrajasthan.org

Ref. No. BCR/ 5160 Dated: 29.09.2014

उक्त दो दिवसीय सभा का कार्यक्रम प्रथम दिन 08 नवम्बर, 2014 को अधिवक्ताओं का कल्याण (Welfare of Advocates) विषय पर चर्चा की जायेगी तथा दूसरे दिन 09 नवम्बर, 2014 को न्यायिक अवमानना अधिनियम (Contempt of Courts Act) पर खुली चर्चा की जायेगी।

उक्त दो दिवसीय सभा में आने वाले प्रतिभागियों के ठहरने व भोजन इत्यादि की समुचित व्यवस्था बार कौंसिल द्वारा की गई है। इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की जायेगी, जिसमें विधिवेताओं के लेखों के साथ अन्य बार कौंसिल से जुड़ी सूचनाओं आदि का विवरण भी होगा। अगर आप अपना या आपकी बार के विद्वान अधिवक्तागण का कोई लेख इस स्मारिका में छपवाना चाहते हैं, तो कृपया दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 तक आवश्यक रूप से भिजवा देवें। इस स्मारिका में सभी बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष तथा सचिव की रंगीन फोटो भी प्रकाशित की जायेगी। अतः कृपया आप अपनी फोटो तथा वैयक्तिक विवरण दिनांक 15–10–2014 तक भिजवा देवें।

आपसे निवेदन है कि उक्त दो दिवसीय सभा में भाग लेने की सहमति दिनांक 15–10–2014 तक आवश्यक रूप से भिजवा देवें, जिससे आपके ठहरने की समुचित व्यवस्था की जा सके। अगर किसी कारणवश आप अध्यक्ष एवम् सचिव महोदय कार्यक्रम में भाग लेने में असमर्थ हैं, तो कृपया आप द्वारा मनोनीत आपकी बार के दो अधिवक्तागण का नाम अवश्य भिजवा देवें। प्रतिनिधि शुल्क 200/– रू. रखा गया है।

उक्त कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा शीघ्र ही आपको भिजवा दी जायेगी। यह कार्यक्रम राजस्थान के अधिवक्ताओं के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में पधारकर इस कार्यक्रम के आयोजन की सार्थकता को सिद्ध करें। इस कार्यक्रम को और अधिक युक्तिपूर्ण एवम् सफल बनाने हेतु आप कोई सुझाव भिजवाना चाहे तो वह सादर आमंत्रित है।

स्थान :– श्री पंचायती धर्मशाला,
रेल्वे स्टेशन के सामने,
श्रीगंगानगर (राज.)
फोन नं. 0154–2440477

शुभेच्छु

नवरंगसिंह चौधरी
संयोजक एवं सदस्य
बार कौन्सिल ऑफ राजस्थान